भाग ङ: लीवरेज अनुपात ढांचा[1]

16. लीवरेज अनुपात

16.1 औचित्य और उद्देश्य

वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्निहित कारणों में एक कारण था बैंकिंग प्रणाली में तुलन पत्र एवं तुलनपत्रेतर लीवरेज का अतिशय निर्माण। कई मामलों में बैंक जोखिम आधारित सशक्त पूंजी अनुपातों के रहते हुए भी अतिशय लीवरेज निर्मित करते हैं। संकट के सबसे भीषणतम समय के दौरान, बाजार ने बैंकिंग सेक्टर को अपना लीवरेज कम करने के लिए इस कदर बाध्य कर दिया कि इसके परिणामस्वरूप आस्ति कीमतों पर अधोमुखी दबाव पड़ा। इस डिलीवरेजिंग प्रक्रिया के कारण घाटे, गिरती बैंक पूंजी और ऋण उपलब्धता में संकुचन के बीच प्रतिगामी संबंध और भी बिगड़ गया। अतएव, बासल III के अंतर्गत एक सरल, पारदर्शी, गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात शुरू किया गया है। इस लीवरेज अनुपात को जोखिम धारित पूंजी अपेक्षाओं के एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए अंकित किया गया है तथा इससे निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है:

(क) अस्थिरता उत्पन्न करने वाली डिलीवरेज प्रक्रिया से बचने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में लीवरेज के अतिशय निर्माण को नियंत्रित करना, जो समग्र वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती है; और

(ख) जोखिम आधारित अपेक्षाओं को सरल, गैर-जोखिम आधारित 'बैक स्टॉप' उपाय की सहायता से सुदृढ़ करना।

16.2 लीवरेज अनुपात की परिभाषा, न्यूनतम अपेक्षा तथा कार्यान्वयन का दायरा

परिभाषा और न्यूनतम अपेक्षा

बासल III लीवरेज अनुपात को पूंजी मापक (गणक) को एक्सपोजर मापक (भाजक) द्वारा विभाजित करके परिभाषित किया गया है, जिसका यह अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

$$\text{लीवरेज अनुपात} = \frac{\text{पूंजी मापक}}{\text{एक्सपोजर मापक}}$$

[1] कृपया भारत में बासल III पूंजी विनियमावली का कार्यान्वयन पर जारी दिनांक 02 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि.बीसी.98/21.06.201/2011-12 का अनुबंध 5 देखें । इन अनुदेशों कों बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी.6/21.06.201/2014-15 में शामिल किया गया है।

16.2.1 बासल समिति 01 जनवरी 2017 तक के पैरलल रन पीरियड के दौरान 3% का न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात का परीक्षण करने के लिए संशोधित संरचना[2] का प्रयोग करेगी। बासल समिति लीवरेज के अनुपात के लिए पूंजी आकलन के रूप में सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीइटी 1) अथवा कुल विनियामक पूंजी के प्रयोग के प्रभाव पर नजर रखना जारी रखेगी। 01 जनवरी 2018 को पिलर 1 ट्रीटमेंट में अंतरण करने की दृष्टि से इस परिभाषा में अंतिम बदलाव तथा आगे अन्य कोई भी समायोजन 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

16.2.2. वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली 4.5% से अधिक लीवरेज अनुपात पर परिचालन कर रही है। बासल समिति द्वारा 2017 के अंत तक निर्धारित अंतिम नियमों को ध्यान में रखते हुए अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात का निर्धारण किया जाएगा। इस बीच, ये दिशानिर्देश बैंकों द्वारा पैरेलल रन तथा नीचे पैरा 6.6 में रेखांकित प्रकटीकरण में प्रयोजन के लिए आधार का काम करेंगे। इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक 4.5% के निर्देशात्मक लीवरेज अनुपात पर अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा। संक्रमणकालीन अन्य व्यवस्थाओं का उल्लेख नीचे पैराग्राफ 16.5 में किया गया है।

समेकन का दायरा

16.2.3 बासल III लीवरेज अनुपात संरचना में उसी विनियामक समेकन के दायरे का पालन किया जाएगा, जो जोखिम आधारित पूंजी संरचना[3] के लिए प्रयुक्त होता है।

16.2.4 *उन बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं की पूंजी में निवेशों का ट्रीटमेंट, जो समेकन के विनियामक दायरे से बाहर हैं:* ऐसे मामलो में, जहां कोई बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्था विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है, केवल ऐसी संस्थाओं की पूंजी में निवेश (अर्थात निवेशक की आधारभूत आस्तियों तथा अन्य एक्सपोजरों में से निवेश का केवल बही मूल्य) को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, बासल III पूंजी विनियमावली पर पैरा 4.4 मास्टर परिपत्र के विनियामक समायोजन/कटौतिया 4[4] में निर्धारित किए अनुसार ऐसी संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जिन्हें टियर 1 पूंजी में से घटाया गया है (अर्थात तदनुरूप कटौती विधि के अनुसार सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में से घटाए गए अथवा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में से घटाए गए), को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन में शामिल नहीं किया जाए।

---

[2]कृपया बैंकिंग पर्यवेक्षण पीआर बासल समिति द्वारा जनवरी 2014 में जारी ' बासल III लीवरेज अनुपात संरचना और प्रकटीकरण अपेक्षएं " देखें । ये अपेक्षाएं बासल III के खंड V: अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा, दिसंबर 2010 (संशोधित जून 2011) में की गई अपेक्षाओं का अधिक्रमण करती हैं।

[3] कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.6/21.06.201/2014-15 का पैरा 3 : पूंजी पर्याप्तता ढांचा लागू करने का दायरा देखें। कृपया दी.25 फरवरी 2003 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.72/21.04.018/2001-02 तथा दिनांक 12 दिसंबर 2006 का परिपत्र बैंपविवि. सं.एफएसडी. बीसी.46/24.01.028/2006-07 भी देखें।

[4] पैरा 4.4 के उप-पैरा 4.4.1 से 4.4.96 में दर्शाए गए अनुसार सभी विनियामक समायोजन / कटौतियाँ।

16.3 **पूंजी आकलन**

लीवरेज अनुपात के लिए पूंजी आकलन जोखिम आधारित पूंजी संरचना 5 की टियर 1 पूंजी है[5], जिसमें विभिन्न विनियामक समायोजन/ कटौतियों और संक्रमण कालीन व्यवस्थाओं को ध्यान में लिया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी विशिष्ट समय पर लीवरेज अनुपात के लिए प्रयुक्त पूंजी आकलन उस समय जोखिम आधारित संरचना के अंतर्गत लागू टियर 1 पूंजी आकलन होगा।

16.4 **एक्सपोजर आकलन**

16.4.1 **आकलन के सामान्य सिद्धान्त**

(i) लीवरेज अनुपात के लिए एक्सपोजर आकलन में सामान्यत: लेखांकन मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, बशर्ते:

- एक्सपोजर आकलन में विनिर्दिष्ट प्रावधानों या लेखांकन मूल्यांकन समायोजन (उदाहरणार्थ लेखांकन ऋण मूल्यांकन समायोजन, उदा. एएफ़एस और एचएफटी पोजीशनों के लिए विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन) को घटा कर तुलनपत्र में गैर डेरिवेटिव एक्सपोजरों को शामिल किया जाता है।
- ऋणों और जमाराशियों के समायोजन की अनुमति नहीं है।

(ii) जब तक कि नीचे भिन्न रूप में विनिर्दिष्ट न किया जाए, बैंकों को एक्सपोजर आकलन को कम करने के लिए भौतिक या वित्तीय संपार्श्विक, गारंटियां या ऋण जोखिम कम करने की अन्य तकनीकों को नहीं अपनाना चाहिए।

(iii) किसी बैंक का समग्र एक्सपोजर आकलन निम्नलिखित एक्सपोजरों का योग होगा:

(क) तुलनपत्र में शामिल एक्सपोजर;
(ख) डेरिवेटिव एक्सपोजर;
(ग) प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन (एसएफटी) एक्सपोजर और
(घ) तुलनपत्रेतर (ओबीएस) मदें।

इन चार मुख्य एक्सपोजर प्रकारों के लिए किए जाने वाले विनिर्दिष्ट ट्रीटमेंट को नीचे पैरा 16.4.2 से 16.4.5 में परिभाषित किया गया है।

16.4.2 **तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर**

16.4.2.1 बैंकों को अपने तुलनपत्र में शामिल डेरिवेटिव संपार्श्विक तथा एसएफटी के लिए संपार्श्विक सहित तुलनपत्र में मौजूद सभी आस्तियों को अपने एक्सपोजर आकलन में शामिल करना चाहिए।

[5] बासल III पूंजी विनियमावली पर 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.6/21.06.201/2014-15 के पैरा 4: विनियामक पूंजी की बनावट में यथापरिभाषित टियर 1 पूंजी।

इसका अपवाद केवल ऐसे तुलनपत्र में मौजूद डेरिवेटिव और एसएफटी आस्तियां होंगी, जिन्हें नीचे पैरा 16.4.3 और 16.4.4 में कवर किया गया है[6]।

16.4.2.2 तथापि, सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4 - विनियामक समायोजन / कटौतियाँ[7] में निर्धारिक किए गए अनुसार टियर 1 पूंजी में से घटाई गई तुलनपत्र आस्तियों को एक्सपोजर आकलन में से घटाया जा सकता है। नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं :

- जहां किसी बैंकिंग, वित्तीय या बीमा संस्था को समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है (जैसाकि पैरा 16.2.3 में दिया गया है), उस संस्था की पूंजी में निवेश की गई किसी भी राशि राशि, जिसे बैंक की सीईटी1 पूंजी या अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में से पूर्णत: या आंशिक रूप से काटा गया है (बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 3.3.2 और 4.4.9.2 (ग) के अनुसार), को एक्सपोजर आकलन में से भी घटा दिया जाए।
- ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) विधि का प्रयोग करने वाले बैंकों के लिए बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.4 में यह अपेक्षित है कि वे संभावित हानियों से संबंधित पात्र प्रावधानों के स्टॉक में किसी भी कमी की कटौती सीईटी 1 पूंजी में से करं। वही राशि एक्सपोजर आकलन में से भी घटा दी जानी चाहिए।
- 16.4.2.3 एक्सपोजर आकलन में से देयता मदों की कटौती नहीं की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4.6 में दिए गए अनुसार बैंक के अपने ऋण जोखिम में बदलाव के कारण उचित मूल्य की देयताओं पर लाभ / हानि अथवा डेरिवेटिव देयताओं पर लेखांकन मूल्य समायोजन के लिए एक्सपोजर आकलन में से कटौती नहीं की जानी चाहिए।

16.4.3 **डेरिवेटिव एक्सपोजर**

16.4.3.1 ***डेरिवेटिव का ट्रीटमेंट***: डेरिवेटिव दो प्रकार के एक्सपोजर का निर्माण करते हैं।

(क) डेरिवेटिव संविदा के तहत उत्पन्न होनेवाला एक्सपोजर; तथा (ख) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) एक्सपोजर।

---

[6] जहाँ कोई बैंक अपनी परिचालनात्मक लेखांकन संरचना के अनुसार तुलनपत्र में प्रत्ययी (fiduciary) आस्तियों को मान्यता देता है, वहाँ इन आस्तियों को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में से छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ये आस्तियां मान्यता समाप्त करने के लिए आईएस - 39 मानकों को पूरा करती हों और असमेकन के लिए आईएफआरएस 10 मानदंडो को पूरा करती हों। लीवरेज अनुपात का प्रकटीकरण करते समय बैंकों को पैरा 16.7.4 में निर्धारित किए गए अनुसार ऐसी अ-मान्य प्रत्ययी मदों की सीमा का भी प्रकटन करना चाहिए।

[7] सभी विनियामक समायोजन/कटौतियों को बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.4 में दर्शाया गया है।

लीवरेज अनुपात संरचना में इन दोनों प्रकार के एक्सपोजर का पता लगाने हेतु नीचे दिए गए तरीके का प्रयोग किया जाता है।

16.4.3.2 ऋण डेरिवेटिव का प्रयोग करते हुए संरक्षण की बिक्री सहित बैंकों को वर्तमान एक्सपोजरों के लिए प्रतिस्थापना लागत (आर सी)[8] के रूप में अपने डेरिवेटिव एक्सपोजरों की गणना करनी चाहिए,[9] (पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार)। यदि बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि डेरिवेटिव एक्सपोजर पात्र द्विपक्षीय नेटिंग करार द्वारा कवर होता है,[10] तो नीचे पैरा 6.4.3.4 में दर्शाये गए वैकल्पिक ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाए[11]। लिखित ऋण डेरिवेटिव, नीचे पैरा 16.4.3.II से 16.4.3.14 में निर्धारित किए गए अनुसार एक अतिरिक्त ट्रीटमेंट के अधीन होंगे।

16.4.3.3 किसी एकल डेरिवेटिव करार के लिए एक्सपोजर आकलन में शामिल की जाने वली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

एक्स्पोजर आकलन = प्रतिस्थापन की लागत (आरसी) + एड-आन

जहां, आरसी -करार की प्रतिस्थापना लागत (बाजार दर पर प्राप्त), जहां करार का धनात्मक मूल्य है।

एड-आन = करार की शेष अवधि पर पीएफई की राशि, जिसकी गणना डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि पर एड-आन तत्व का प्रयोग करके की गई है। एड-आन कारक बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.5 की सारणी 9 तथा पैरा 8.6.3 की सारणी 22 तथा 23 में दिए गए हैं।

16.4.3.4 द्विपक्षीय निवल निर्धारण: बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार यदि कोई पात्र द्विपक्षीय

---

[8] यदि संबंधित लेखांकन मानकों के अधीन कतिपय डेरिवेटिव लिखतों के एक्सपोजर के आकलन के लिए कोई लेखांकन माप न हो, क्योंकि उन्हें (पूर्णतः) तुलनपत्रेतर धारित किया गया है, तो बैंक को प्रतिस्थापन लागत के रूप में इन डेरिवेटिव के धनात्मक उचित मूल्य के जोड़ का प्रयोग करना चाहिए।

[9] यह पद्धति डेरिवेटिव एक्सपोजर संबंधित सीसीआर एक्सपोजर राशियों की गणना के लिए चालू एक्सपोजर प्रणाली (सीईएम) के संदर्भ में है। बासल समिति इस पर विचार करेगी कि क्या पैरा 16.4.3.1 में वर्णित डेरिवेटिव द्वारा निर्मित दोनों प्रकार के एक्सपोजरों का पता लगाने की आवश्यकता के संदर्भ में सीसीआर के लिए चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) के आकलन के लिए हाल ही में जारी की गई मानकीकृत विधि उपयुक्त है या नहीं। भारत में परिचालन करने वाले बैंक तब तक सीईएम का प्रयोग करना जारी रख सकते हैं, जब तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा सूचित नहीं किया जाता।

[10] वर्तमान में, मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन केवल बैंक के अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) के प्रति बैंक के एक्सपोजरों के मामले में प्रासंगिक है। ओटीसी डेरिवेटिव के मामले में कृपया बैंक के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर 01 अक्तूबर 2010 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.48/21.06.001/2010-11 देखें। उसमेंदर्शाए गए अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न बाजार दर पर (MTM) मूल्यों के द्वीपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है।

[11] ये नेटिंग के नियम क्रॉस -प्रोडक्ट नेटिंग को छोड़ कर हैं, अर्थात लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर के आकलन के लिए क्रॉस - प्रोडक्ट नेटिंग की अनुमति नहीं है।

निवल निर्धारण करार अस्तित्व में हो तो ऊपर पैरा 16.4.3.3 में दिए गए अनुसार करार में शामिल डेरिवेटिव एक्सपोजर के सेट के लिए प्रतिस्थापन लागत, निवल प्रतिस्थापन लागत तथा एड-आन कारकों का जोड़ होगी।

16.4.3.5 संबंधित संपार्श्विक का ट्रीटमेंट: डेरिवेटिव करारों के संबंध में प्राप्त संपार्श्विक के लीवरेज पर दो प्रतिकारी प्रभाव होते हैं:

- यह प्रतिपक्षी एक्सपोजर को घटाता है, किंतु
- यह बैंक को उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि बैंक स्वयं के लाभ/लीवरेज के लिए उक्त संपार्श्विक का उपयोग कर सकता है।

16.4.3.6 ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव करारों के संबंध में प्राप्त संपार्श्विक से बैंक की डेरिवेटिव स्थिति में अंतर्निहित लीवरेज में कमी आ जाए, लेकिन यदि अंतर्निहित डेरिवेटिव करार से उत्पन्न निपटान एक्सपोजर को कम नहीं किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है। आम तौर पर प्राप्त संपार्श्विक की डेरिवेटिव एक्सपोजरों पर नेटिंग नहीं की जा सकती, चाहे बैंक के परिचालनगत लेखांकन अथवा जोखिम आधारित संरचना के अंतर्गत नेटिंग की अनुमति हो या नहीं हो। अतएव, यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 6.4.3.2 से 16.4.3.4 का प्रयोग करते हुए एक्सपोजर राशि की गणना करते समय बैंक को प्रतिपक्षकार से प्राप्त किसी संपार्श्विक से एक्सपोजर राशि को घटाना नहीं चाहिए।

16.4.3.7 इसी प्रकार, प्रदान किए गए संपार्श्विक के संबंध में बैंकों को चाहिए कि वे जहाँ संपार्श्विक प्रदान करने के परिणामस्वरूप उनके परिचालनगत लेखांकन संरचना के अंतर्गत उनकी तुलनपत्र की आस्तियों का मूल्य कम हुआ हो, वहां वे प्रदान किए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक की राशि तक अपने एक्सपोजरका आकलन करें।

16.4.3.8 **नकद घट बढ़ मार्जिन का ट्रीटमेंट**

लीवरेज अनुपात के प्रयोजन से डेरिवेटिव एक्सपोजर के ट्रीटमेंट में प्रतिपक्षकारों के बीच घट- बढ़ (variation) मार्जिन के नकद भाग को निपटान -पूर्व भुगतान के प्रकार के रूप में देखा जाना चाहिए, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों-

(i) किसी अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकर (क्यूसीसीपी)[12] के माध्यम से निपटाए न गए सौदों के लिए प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकार द्वारा प्राप्त की गई नकद राशि को पृथक नहीं किया जाता।[13]

---

[12] क्यूसीसीपी बासल III पूंजी विनियमावली के पैरा 5.15.3.3 में यथापरिभाषित।

[13] नकद घट-बढ़ मार्जिन ए-पृथक्करण मानदंडों का पूरा करेगा, यदि प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकर के प्राप्त नकद का उपयोग करने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध न हों (अर्थात प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग अपनी स्वयं की नकद राशि की तरह

(ii) डेरिवेटिव पोजीशनों[14] के बाजार-दर पर मूल्यांकन के आधार पर घट-बढ़ मार्जिन की दैनिक आधार पर गणना और विनिमय किया जाता है।

(iii) नकद घट-बढ़ मार्जिन को उसी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है, जिस मुद्रा में डेरिवेटिव करार का निपटान किया गया है।[15]

(iv) प्रतिपक्षकार पर लागू प्रारंभिक सीमा और न्यूनतम अंतरण राशियों की शर्त पर विनियम किया गया घट-बढ़ मार्जिन डेरिवेटिव के बाजार दर पर एक्सपोजर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आवश्यक पूर्ण राशि है।[16]

(v) डेरिवेटिव लेनदेनों की प्रतिपक्षकार विधिक संस्थाओं के बीच एक एकल मास्टर नेटिंग करार (एमएनए)[17], [18] के द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों और घट-बढ़ मार्जिन को कवर किया जाता है। एमएनए में यह स्पष्ट कहा गया हो कि यदि किसी भी प्रतिपक्षकार के संबंध में कोई क्रेडिट घटना होती है, अथवा प्राप्त अथवा उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन को हिसाब में लेते हुए प्रतिपक्षकार ऐसे नेटिंग करार में शामिल किसी भुगतान दायित्व का निवल निपटान करने के लिए सहमत हैं। चूक और ऋण शोधन क्षमता अथवा दीवालियापन की स्थितियों सहित सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में एमएनए विधिक रूप से प्रवर्तनीय और प्रभावी[19] होना चाहिए।

16.4.3.9 यदि पैराग्राफ 16.4.3.8 मे दी गई शर्तें पूरी हों, तो प्राप्त घट-बढ़ मार्जिन के नकद भाग को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के प्रतिस्थापन लागत अनुपात को घटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तथा प्रावधानित नकद घट-बढ़ मार्जिन में से प्राप्य आस्तियों को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में से निम्नानुसार घटाया जा सकता है।

किया जाता हो)। इसके अतिरिक्त इस मानदंड को तभी पूरा किया जा सकेगा, जब प्राप्तकर्ता प्रतिपक्षकार को प्राप्त नकद राशि को कानून, विनियम या प्रतिपक्षकार के साथ किसी करार द्वारा के अनुसार पृथक्करण करना अपेक्षित नहीं हो।

[14] इस मानदंड को पूरा करने हेतु डेरिवेटिव स्थितियों का दैनिक मूलयंकन किया जाना चाहिए तथा नकद घट-बढ़ मार्जिन को दैनिक रूप से प्रतिपक्षकार को अथवा प्रतिपक्षकार के खाते, में जैसा उचित हो, अंतरित किया जाना चाहिए।

[15] इस पैराग्राफ के लिए निपटान की मुद्रा का आशय डेरिवेटिव संविदा में विनिर्दिष्ट निपटान की मुद्रा से है, जो अर्हताप्राप्त मास्टर नेटिंग करार (एमएनए) अथवा अर्हताप्राप्त एमएनए की ऋण सहायता अनुसूची (सीएसए) का संचालन करती है। बासल समिति इस संबंध में उचित ट्रीटमेंट के लिए इस मामले की आगे और समीक्षा करेगी।

[16] पिछले दिन के अंत में बाजार मूल्यों के आधार पर उसके बाद वाले कारोबारी दिन की सुबह विनिमय किए गए नकद घट-बढ़ मार्जिन इस मानदंड को पूरा करेगा, बशर्ते कि लागू प्रारंभिक सीमा और न्यूनतम अंतरण राशियों के अधीन विनिमय की गई घट-बढ़ मार्जिन राशि ऐसी पूर्ण राशि हो, जो डेरिवेटिव के बाजार दर पर एक्सपोजर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

[17] इस प्रयोजन के लिए एक मास्टर एमएनए को एकल एमएनए माना जा सकता है।

[18] इस पैराग्राफ में "मास्टर नेटिंग करार" का मानदंड जिस सीमा तक शामिल किया गया है, एक पारिभाषिक शब्द को इसप्रकार पढ़ा जाए जिसमें किसी 'नेटिंग करार' को शामिल किया गया हो, जो ऑफसेट के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध करता हो। इसमें इस तथ्य को ध्यान में लिया जाना चाहिए कि केंद्रीय प्रतिपक्षकारों द्वारा किए गए नेटिंग करारों के लिए वर्तमान में कोई मानकीकरण नहीं किया गया है।

[19] एक मास्टर नेटिंग करार द्वारा मानदंड को पूरा किया माना जाएगा, यदि यह बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (i) तथा अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

- प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन के मामले में प्राप्तकर्ता बैंक को चाहिए कि यदि डेरिवेटिव करार (रों) के धनात्मक बाजार मूल्य को बैंक के परिचालनगत लेखांकन मानक के अंतर्गत प्राप्त नकद घट-बढ़ मार्जिन के समतुल्य राशि के बराबर पहले से घटाया न गया हो तो वह प्राप्त नकद राशि की सीमा तक डेरिवेटिव आस्ति की एक्सपोजर राशि की प्रतिस्थापन लागत को घटा दे (लेकिन पूरक भाग नहीं)।
- किसी प्रतिपक्षकार को उपलब्ध कराए गए घट-बढ़ मार्जिन के मामले में जहाँ बैंक के परिचालनात्मक लेखांकन ढांचे के अंतर्गत नकद घट-बढ़ मार्जिन को आस्ति के रूप में मान्यता दी गई है वहां प्रविष्टि करने वाला बैंक अपने लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में से परिणामी प्राप्य राशियों को घटा सकता है।

पीएफई राशि को घटाने के लिए नकद घट-बढ़ मार्जिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

16.4.3.10 **समाशोधन सेवाओं का ट्रीटमेंट:** जहाँ समाशोधन सदस्य (सीएम)[20] के रूप में कार्य करते हुए कोई बैंक ग्राहकों को समाशोधन सेवाएँ देता है, वहां समाशोधन सदस्य का केंद्रीय प्रतिपक्षकार के प्रति व्यापार (trade) एक्सपोजर[21] तब उत्पन्न होता है, जब सीसीपी के चूक कर जाने की स्थिति में समाशोधन सदस्य लेनदेन के मूल्य मे परिवर्तन के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को करने के लिए बाध्य होता है।

इसे उसी प्रकार के ट्रीटमेंट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, जो डेरिवेटिव लेनदेनों के अन्य किसी प्रकार के लिए की जाती है। तथापि, ग्राहक के साथ की गई करार व्यवस्था के आधार पर यदि क्यूसीसीपी चूकों की स्थिति में लेनदेनों के मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति करना समाशोधन सदस्य का दायित्व नहीं हो, तो समाशोधन सदस्य के लिए लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर आकलन[22] में क्यूसीसीपी के परिणामी व्यापार एक्सपोजर को शामिल करने की जरूरत नहीं है।

16.4.3.11 जहाँ ग्राहक केंद्रीय प्रतिपक्षकार के साथ सीधे ही डेरिवेटिव लेनदेन करता है तथा समाशोधन सदस्य सीसीपी को अपने ग्राहक के डेरिवेटिव व्यापार एक्सपोजर के निष्पादन की गारंटी देता है, वहां सीसीपी के ग्राहक के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने वाले बैंक को पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.9 में निर्धारित किए गए अनुसार डेरिवेटिव एक्सपोजर के रूप में गारंटी के

---

[20] समाशोधन सदस्य (सीएम) बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र केपैरा 3.15.3.3 में यथापरिभाषित है।

[21] पैरा 16.4.3.9 तथा 16.4.3.10 के प्रयोजन से "व्यापार-एक्सपोजर ' में प्रारंभिक मार्जिन शामिल है, चाहे उसकी प्रविष्टि इस तरह से की गई हो या नहीं, जो उसे केंद्रीय प्रतिपक्षकार के दिवालियेपन से अलग रखे।

[22] बैंक से संलग्न किसी संस्था, जो समाशोधन सदस्य (सीएम) का कार्य करती हो, को बासल III लीवरेज अनुपात संरचना के इस पैराग्राफ के प्रयोजन से एक ग्राहक माना जा सकता है यदि वह बासल III लीवरेज अनुपात को लागू किए जाने वाले स्तर पर संबंधित विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हो। इसके विपरीत, यदि कोई संलग्न संस्था विनियमक समेकन के दायरे के भीतर आती हो, तो संलग्न संस्था और समाशोधन सदस्य के बीच व्यापार समेकन के दौरान समाप्त हो जाता है, किंतु समाशोधन सदस्य का अब भी अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार के प्रति व्यापार एक्सपोजर रहता है, जिसे मालिकाना माना जाएगा और इस पैराग्राफ में बताया गया अपवाद उस पर लागू नहीं होगा।

परिणामस्वरूप संबंधित लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की गणना इस प्रकार करनी चाहिए, जैसे कि वह नकद घट-बढ़ मार्जिन की प्राप्ति या प्रावधान सहित, ग्राहक के साथ सीधे लेनदेन में शामिल रहा हो।

16.4.3.12 **लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए अतिरिक्त ट्रीटमेंट**

करारों के उचित मूल्य से उत्पन्न होने वाले सीसीआर एक्सपोजर के साथ ही, लिखित ऋण डेरिवेटिव निर्दिष्ट (reference) संस्था की ऋणपात्रता से उत्पन्न कल्पित ऋण एक्सपोजर का निर्माण करते हैं। अतएव यह उचित होगा की एक्सपोजर आकलन के लिए लिखित ऋण डेरिवेटिव को लगातार नकद लिखतों (जैसे ऋण, बांड) के साथ ट्रीट किया जाए।

16.4.3.13 डेरिवेटिव और अन्य संपार्श्विक के लिए उपर्युक्त सीसीआर ट्रीटमेंट के साथ ही अंतर्निहित निर्दिष्ट संस्था के ऋण एक्सपोजर का पता लगाने हेतु एक्सपोजर आकलन में लिखित ऋण डेरिवेटिव द्वारा निर्दिष्ट प्रभावी कल्पित राशि[23] को शामिल किया जाना चाहिए। लिखित लिखित ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशी को टियर 1 पूंजी की गणना में लिखित ऋण डेरिवेटिव[24] के संबंध में शामिल की गई उचित मूल्य राशि में किसी ऋणात्मक परिवर्तन तक घटाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त राशि को आगे उसी निर्दिष्ट नाम[25, 26] पर खरीदे गए ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि तक घटाया जा सकता है, बशर्ते

---

[23] लेनदेन के स्वरूप के द्वारा लीवरेज किए गए अथवा अन्यथा बढ़ाए गए करारों के सही एक्सपोजर को दर्शानेवाली कल्पित राशि के समायोजन से प्राप्त की गई प्रभावी कल्पित राशि।

[24] उचित मूल्य में ऋणात्मक परिवर्तन का आशय है टियर 1 पूंजी में मान्यता प्राप्त ऋण डेरिवेटिव का ऋणात्मक उचित मूल्य। यह ट्रीटमेंट इस तर्क के अनुरूप है कि एक्सपोजर आकलन में शामिल प्रभावी कल्पित राशियों की अधिकतम सीमा अधिकतम संभाव्य हानि के स्तर पर होगी। इसका अर्थ यह है कि रिपोर्टिंग तारीख को अधिकतम संभाव्य हानि ऋण डेरिवेटिव कि कल्पित राशि में से ऐसे ऋणात्मक उचित मूल्य को घटा कर प्राप्त की जाएगी, जिसने पहले ही टियर 1 पूंजी को घटा दिया है। उदाहरणार्थ, यदि किसी तारीख को लिखित ऋण डेरिवेटिव का धनात्मक उचित मूल्य 20 है, तथा उसके बाद की रिपोर्टिंग तारीख को उसका ऋणात्मक उचित मूल्य 10 है, तो उस ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि को 10 तक घटा दिया जाना चाहिए। प्रभावी कल्पित राशि को 30 तक नहीं घटाया जा सकता। तथापि, यदि बाद की किसी रिपोर्टिंग तारीख को उस ऋण डेरिवेटिव का धनात्मक उचित मूल्य 5 हो, तो प्रभावी कल्पित राशि को बिल्कुल भी नहीं घटाया जाना चाहिए।

[25] दो निर्दिष्ट नाम तभी एक जैसे माने जाएंगे जब वे एक ही विधिक इकाई के संदर्भ में हों। एकल नाम वाले क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए खरीदा गया संरक्षण जो द्वितीयक वरीयता प्रतिबद्धता से संबंधित होउसे उसी विनिर्दिष्ट इकाई को , जबकि अधिक सुरक्षा प्राप्त ,सकता है अधिक सुरक्षा प्राप्त प्रतिबद्दता के प्रति बेचे गए संरक्षण से समंजित किया जा संदर्भित आस्ति के संबंध में हुए किसी क्रेडिट इवेंट की वजह से द्वितीयक वरीयता वाली आस्ति केप्रति भी क्रेडिट इवेंट उत्पन्न हो जाए।

[26] लिखित ऋण डेरिवेटिव की प्रभावी कल्पित राशि को उचित मूल्य में किसी ऋणात्मक परिवर्तन, जो बैंक की टियर 1 पूंजी में प्रतिबिंबित होता है, के द्वारा घटाया जा सकता है, बशर्ते कि खरीदे गए ऋण संरक्षण के ऑफसेटिंग की प्रभावी कल्पित राशि को भी टियर 1 पूंजी में प्रतिबिंबित उचित मूल्य में परिणामी धनात्मक परिवर्तन से घटाया जाए।

- एकल नाम पर ऋण डेरिवेटिव[27] के मामले में खरीदा गया ऋण संरक्षण ऐसे निर्दिष्ट दायित्व पर हो, जो लिखित ऋण डेरिवेटिव के अंतर्निहित निर्दिष्ट दायित्व के समरूप या उससे कनिष्ठ हो, तथा
- खरीदे गए ऋण संरक्षण की अवशिष्ट परिपक्वता लिखित ऋण डेरिवेटिव की अवशिष्ट परिपक्वता के समान अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

16.4.3.14 चूंकि लिखित ऋण डेरिवेटिव को उनकी प्रभावी कल्पित राशि पर एक्सपोजर आकलन में शामिल किया गया है, तथा वे पीएफई के लिए जोड़ी गई राशियों के भी अधीन हैं, अतः लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए एक्सपोजर आकलन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया हो सकता है। अतएव, बैंक यदि चाहें तो पैरा 16.4.3.2 से 16.4.3.4[28] में अपने सकल एड-ऑन में से लिखित ऋण डेरिवेटिव के संबंध में अलग-अलग पीएफई के साथ जोड़ी गई राशि को घटा सकते हैं (जो पैरा 16.4.3.12 के अनुसार समंजित (offset) नहीं है तथा जिसकी प्रभावी कल्पित राशि एक्सपोजर आकलन में शामिल की गई है)।

16.4.4 **प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर**

16.4.4.1 निम्नलिखित परिच्छेदों में वर्णित ट्रीटमेंट के अनुसार एक्सपोजर आकलन में एसटीएफ[29] शामिल किए गए हैं। उक्त ट्रीटमेंट यह स्वीकार करता है कि एसटीएफ के रूप में प्रतिभूत ऋण देना और उधार लेना लीवरेज का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तथा यह परिचालनगत लेखांकन संरचनाओं में प्रमुख अंतरों के संबंध में एक सामान्य आकलन उपलब्ध करा कर सुसंगत अंतरराष्ट्रीय कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

16.4.4.2 **सामान्य ट्रीटमेंट (प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा बैंक):**

निम्नांकित उप-पैरा (क) और (ख) की राशियों के योग को लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल किया जाना चाहिए :

(अ) लेखांकन के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त सकल एसएफटी आस्तियों[30] (अर्थात् लेखांकन नेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त नहीं)[31] को निम्नानुसार समायोजित किया गया -

---

[27] उत्पादों के अंश पर यदि लागू हो, तो उनके लिए खरीदे गए संरक्षण उसी स्तर की वरीयता के लिए निर्दिष्ट दायित्व होना चाहिए।

[28] इस परिच्छेद में वर्णित दोहरी गणना से बचने की दृष्टि से पीएफई एड-ऑन शून्य पर निर्धारित करें।

[29] एसएफटी जैसे पुनर्खरीद करार, प्रतिवर्ती पुनर्खरीद करार, प्रतिभूति उधर देना और उधार लेना, तथा मार्जिन उधार देने जैसे लेनदेन हैं, जहाँ लेनदेन का मूल्य बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करता है तथा ये लेनदेन अक्सर मार्जिन करारों के अंतर्गत किए जाते हैं।

[30] क्यूसीसीपी के माध्यम से समाशोधित और नवीयन के अधीन एसएफटी के लिए "लेखांकन प्रयोजन से मान्यताप्राप्त सकाल एसएफटी आस्तियों "को अंतिम संविदात्मक एक्सपोजर द्वारा बदला जाता है, यह मानते हुए कि पहले से मौजूद संविदाओं को नवीयन प्रक्रिया के द्वारा नए विधिक दायित्वों में बदला गया है।

(i) जहाँ बैंक ने अपने तुलनपत्र पर ऐसी प्रतिभूतियों को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी हो,[32] वहां एक्सपोजर आकलन में से एसएफटी के अंतर्गत प्राप्त किसी भी प्रतिभूति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाए; तथा

(ii) यदि निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं तो एक ही प्रतिपक्षकार से एसएफटी के अंतर्गत देय तथा प्राप्य नकद राशि का निवल मापा जाए:

(क) लेनदेनों की सुनिश्चित अंतिम निपटान की तारीख एक ही हो;

(ख) प्रतिपक्षकार को बकाया राशि का प्रतिपक्षकार की ओर से बकाया राशि का समंजन करने का अधिकार सामान्य कारोबार के दौरान तथा (i) चूक (ii) ऋणशोधन; (iii) दिवालियापन, दोनों ही स्थितियों में कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय है; तथा

(ग) जो प्रतिपक्षकार निवल (net) निपटान करना चाहें, वे निपटान एक साथ कर सकते हैं अथवा लेनदेन एक निपटान प्रणाली के अंतर्गत होंगे, जिसका परिणाम निवल निपटान के बराबर होगा; अर्थात लेनदेनों के नकद प्रवाह एक समान होंगे, परिणामत: एक निपटान तारीख को एक ही एकल निवल राशि होगी। यह समानता प्राप्त करने के लिए दोनों लेनदेनों का निपटान एक ही निपटान प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा निपटान व्यवस्था नकद तथा / अथवा अंत:दिवसिय ऋण सुविधाओं द्वरा समर्थित होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों लेनदेनों कनिपटन कारोबार दिवस की समाप्ति तक किया जाए तथा संपार्श्विक प्रवाहों के लिंकेज का परिणाम निवल नकद निपटान में शिथिलता नहीं होना चाहिए ।[33, 34]

---

[31] लेखांकन प्रयोजन के लिए मान्य सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकद राशि के विरुद्ध प्राप्य नकद के किसी लेखांकन निवल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए (उदा. जैसा कि वर्तमान में आईएफआरएस और यूएसजीएएपी लेखांकन ढांचों के अंतर्गत अनुमत है)। इस विनियामक ट्रीटमेंट का लाभ यह है कि इससे विभिन्न लेखांकन व्यवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली नेटिंग असंगतियों से बचा जा सकता है।

[32] उदाहरणार्थ, यह यूएसजीएएपी के अंतर्गत प्रयुक्त हो सकता है, जहाँ किसी एसएफटी के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों को ऐसी आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, मानों प्राप्तकर्ता को पुनःबंधक रखने का अधिकार है, किंतु उसने ऐसा नहीं किया है ।

[33] इस बाद वाली शर्त से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसएफटी के प्रतिभूति वाले हिस्से के कारण उत्पन्न होने वाले कोई भी मुद्दे प्राप्य और देय नकद के निवल निपटान के पूर्ण होने में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

[34] कार्यात्मक समानता पाने के लिए सभी लेनदेनों का निपटान एक ही निपटान प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए। निपटान प्रणाली में किसी एकल प्रतिभूति लेनदेन असफल होने पर केवल उससे मेल खाने वाले नकद भाग में विलंब होना चाहिए, अथवा निपटान प्रणाली में किसी सहयोगी ऋण सुविधा द्वारा समर्पित दायित्व निर्माण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि निपटान प्रणाली में निपटान के लिए विंडो के अंत में किसी लेनदेन के प्रतिभूति भाग का निपटान असफल होता है, तो इस लेनदेन तथा उससे मेल खाने वाले नकद भाग को नेटिंग सेट से अलग कर देना चाहिए तथा बासल III लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के प्रयोजन से उसे सकल माना जाना चाहिए। विशेष रूप से, इस पैरा के मानदंड का उद्देश्य एक सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) निपटान प्रणाली में बाधा डालना नहीं है, बशर्ते कि निपटान प्रणाली इस पैरा में निर्धारित कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करती हो। उदाहरणार्थ, एक निपटान प्रणाली इन कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकती है, यदि किसी असफल लेनदेन (अर्थात अंतरण में असफल प्रतिभूतियां और संबंधित प्राप्य या भुगतान योग्य नकद राशि) का निपटान किए जाने तक उसे निपटान प्रणाली में पुनः प्रविष्ट किया जा सके।

(आ) पीएफई के लिए बिना किसी एड-ऑन के चालू एक्सपोजर के रूप में गिने गए सीसीआर के आकलन की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

(i) जहाँ एक अर्हता प्राप्त एमएनए[35] मौजूद हो, चालू एक्सपोजर (E*) शून्य से बड़ा होगा तथा प्रतिभूतियों तथा किसी प्रतिपक्षकार को अर्हताप्राप्त एमएनए (<Ei) में शामिल सभी लेनदेनों सहित उधार दी गई राशि में से प्रतिपक्षकार से उन लेनदेनों (<Ci) के लिए प्राप्त नकद और प्रतिभूतियों का उचित मूल्य घटाया जाए। इसे निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है -

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

(iii) जहाँ कोई अर्हताप्राप्त एमएनए नहीं हो वहाँ प्रतिपक्षकार के साथ लेनदेनों के वर्तमान एक्सपोजर की गणना लेनदेन दर लेनदेन आधार पर की जानी चाहिए, अर्थात प्रत्येक लेनदेन को अपने स्वयं के नेटिंग के रूप में माना जाना चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित फॉर्मूला में दर्शाया गया है।

$$E_i* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

16.4.4.3 **बिक्री लेखांकन लेनदेन :**

किसी एसएफटी में लीवरेज प्रतिभूति उधर देने वाले के पास रह सकता है, चाहे परिचालनगत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत बिक्री लेखांकन प्राप्त हुआ हो या नहीं। इसलिए, जहाँ बैंक के परिचालनगत लेखांकन ढांचे में एसएफटी के लिए बिक्री लेखांकन प्राप्त किया गया हो, वहाँ बैंक को सभी बिक्री संबंधी लेखा प्रविष्टियों की प्रति-प्रविष्टि करने के बाद अपने एक्सपोजर की गणना इस प्रकार करनी चाहिए मानो एक्सपोजर आकलन के निर्धारण के लिए परिचालनगत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत एसएफटी को एक वित्तीयन लेनदेन के रूप में माना गया हो (अर्थात् ऐसे एसएफटी के लिए बैंक को पैराग्राफ 16.4.4.2 के उप-पैरा (अ) और (आ) की राशियों का जोड़ शामिल करना चाहिए)।

16.4.4.4 **एजेंट के रूप में कार्य कर रहा बैंक:**

एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक सामान्यतः इसमें शामिल दो पार्टियों में से किसी एक को क्षतिपूर्ति या गारंटी उपलब्ध कराता है, तथा वह केवल उसके ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद के मूल्य तथा उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए संपार्श्विक के मूल्य के बीच अंतर की सीमा तक ही होती है। इस स्थिति में, बैंक अपने ग्राहक के प्रतिपक्षकार के प्रति मूल्यों

[35] "अर्हता प्राप्त " एमएनए वह है, जो बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.15.3.9 (क्यूसीसीपी के प्रति एक्सपोजर) तथा अनुबंध 20, भाग ए के अंतर्गत निहित अपेक्षाओं को पूर्ण करता है।

में अंतर के लिए एक्सपोज होता है, न कि लेनदेन में अंतर्निहित प्रतिभूति या नकद के पूर्ण एक्सपोजर के लिए (जैसकि उस मामले में होता है जब बैंक लेनदेन में मुख्य पार्टियों में से एक हो)। जहाँ बैंक अंतर्निहित नकद या प्रतिभूति संसाधनों का स्वामी या नियंत्रक नहीं हो, तो ऐसे संसाधनों को बैंक द्वारा लीवरेज नहीं किया जा सकता।

16.4.4.5 जहाँ एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक ग्राहक या प्रतिपक्षकार को ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद राशि के मूल्य और उधारकर्ता द्वारा दिए गए संपार्श्विक के मूल्य के अंतर के लिए क्षतिपूर्ति या गारंटी उपलब्ध कराता है, वहाँ बैंक से अपेक्षित है कि वह अपने एक्सपोजर आकलन की गणना पैरा 16.4.4.2 के उप-पैरा (आ) के अनुसार ही करे।[36]

16.4.4.6 एसएफटी में एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा ग्राहक या प्रतिपक्षकार को क्षतिपूर्ति या गारंटी देने वाले बैंक को पैरा 16.4.4.5 में निर्धारित अपवादात्मक ट्रीटमेंट के लिए पात्र तभी माना जा सकता है, जब लेनदेन में बैंक का एक्सपोजर अपने ग्राहक द्वारा उधार दी गई प्रतिभूति या नकद मूल्य तथा उधारकर्ता द्वारा दिए गए संपार्श्विक के मूल्य के बीच गारंटीकृत अंतर तक सीमित हो। ऐसी स्थितियों में, जहाँ बैंक लेनदेन में अंतर्निहित प्रतिभूति या नकद से आगे आर्थिक दृष्टि से एक्सपोज है[37] (अर्थात् अंतर की गारंटी से ज्यादा), वहाँ एक्सपोजर आकलन में प्रतिभूति या नकद की पूर्ण राशि के बराबर और अधिक एक्सपोजर को शामिल किया जाना चाहिए।

16.4.5 **तुलन पत्रेतर मदें**

16.4.5.1 इस पैरा में लीवरेज अनुपात एक्सपोजर माप में तुलनपत्रेतर (ओबीएस) मदों के ट्रीटमेंट को स्पष्ट किया गया है। तुलनपत्रेतर मदों में प्रतिबद्धताएँ (चलनिधि सुविधाओं सहित) शामिल हैं, चाहे वे बिनाशर्त निरस्त करने योग्य, सीधे ऋण स्थानापन्न, स्वीकृतियां, अतिरिक्त साखपत्र, व्यापार साखपत्र आदि हों या ना हों।

16.4.5.2 जोखिम आधारित पूंजी संरचना में तुलनपत्रेतर मदों को मानकीकृत विधि के अंतर्गत ऋण परिवर्तन कारकों (सीसीएफ)[38] के द्वारा ऋण एक्सपोजर के समकक्ष रूपांतरित किया जाता है। लीवरेज अनुपात के लिए तुलनपत्रेतर मदों की एक्सपोजर राशि का निर्धारण करने के प्रयोजन से निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित सीसीएफ को कल्पित राशि में प्रयोग किया जाना चाहिए।[39]

---

[36] पैरा 16.6.6.4 से 16.4.4.6 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त, जहाँ एसएफटी के एजेंट के रूप में कार्य करने वाला बैंक शामिल पार्टियों में से किसी को भी क्षतिपूर्ति या गारंटी नहीं देता है, वहाँ बैंक एसएफटी के प्रति एक्सपोज नहीं है, और इसलिए उसे अपने एक्सपोजर आकलन में ऐसे एसएफटी को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

[37] उदरहरणार्थ, प्राप्त संपार्श्विक का प्रबंधन ग्राहक या उधारकर्ता के खाते के बजाए बैंक के बैंक के नाम पर अथवा बैंक के स्वयं के खाते में करने के कारण (उदा. आगे उधार देकर या अपृथक संपार्श्विक, नकद या प्रतिभूतियों का प्रबंधन करके)।

[38] कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र का पैरा 5.15.1 देखें।

[39] ये बासल आईआईआई पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैर 5.15.2 (सारणी 8 सहित) के अंतर्गत 10% के निम्नतम सीमा के अधीन ऋण जोखिम के लिए सीसीएफ की मानकीकृत विधि के अनुरूप है। 10% की निम्नतम सीमा ऐसी प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करेगी, जो बैंक के द्वारा बिना किसी पूर्व-सूचना के किसी भी समय बिना शर्त निरस्त की

(i) प्रतिभूतिकरण चलनिधि सुविधा से इतर एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि प्रतिबद्धताएं तथा एक वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाली प्रतिबद्धता क्रमशः 20% तथा 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगी। तथापि, बैंक द्वारा बिना पूर्व-सूचना के किसी भी समय बिना शर्त निरस्त की जा सकने वाली प्रतिबद्धताएँ, अथवा उधारकर्ता की ऋणशोधनक्षमता में होने के कारण जहाँ स्वतः निरस्तीकरण प्रभावी रूप में उपलब्ध है, वहां 10% सीसीएफ प्राप्त होगा।

(ii) सीधे ऋण स्थानापन्न, जैसे ऋणगस्तता के लिए सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियाँ के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अतिरिक्त साखपत्रों सहित) तथा स्वीकृतियाँ (स्वीकृतियाँ के स्वरूप वाले पृष्ठांकनों सहित) 100% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

(iii) फॉरवर्ड आस्ति खरीद, फॉरवर्ड जमाराशियां तथा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर और प्रतिभूतियां, जो कतिपय गिरावट के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, 100% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

(iv) कुछ लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (जैसे विशिष्ट लेनदेनों के संबंध में निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटियां और अतिरिक्त साखपत्र) 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगे।

(v) नोट निर्गमन सुविधाएं (एनआईएफ) तथा आवर्ती (revolving) अंडरराइटिंग सुविधाएं (आरयूएफ) 50% सीसीएफ प्राप्त करेंगी।

(vi) माल की आवाजाही से उत्पन्न होने वाले (उदा. अंतर्निहित पोतलदान द्वारा संपार्श्विक किया गया दस्तावेजी क्रेडिट) अल्पकालीन स्वयं परिसमापनशील व्यापार साख पत्र के लिए जारीकर्ता और पुष्टि करनेवाले बैंक दोनों पर 20% सीसीएफ लागू होगा।

(vii) जहां ओबीएस मदों के लिए प्रतिबद्धता का दायित्व है वहां बैंकों को प्रयोज्य दो सीसीएफएस में से कमतम सीसीएफ को लागू करना होगा।

(viii) सभी तुलनपत्रेतर प्रतिभूति एक्सपोजर परिवर्तन कारक के 100 प्रतिशत सीसीएफ प्राप्त करेंगे। सभी पात्र चलनिधि सुविधाओं को 50 प्रतिशत का सीसीएफ प्राप्त होगा।

16.5 संक्रमणकालीन व्यवस्था

16.5.1 एक पूर्णकालिक ऋण चक्र और भिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल के लिए लीवरेज अनुपात की रचना और मानकीकारण के उद्देश्य से बासल समिति अर्ध वार्षिक आधार पर बैंकों के लीवरेज आंकड़ों की निगरानी कर रही है। साथ ही, उक्त समिति लीवरेज अनुपात की व्याख्या और गणना के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लेखांकन संरचना की किसी भी भिन्नता का निवारण करने के लिए

जा सकती है, अथवा जिसमें उधारकर्ता की ऋणशोधन क्षमता में गिरावट आने के कारण स्वतः निरस्तीकरण का प्रभावी प्रावधान है। जोखिम आधारित पूंजी संरचना के अंतर्गत इन्हें 0% सीसीएफ प्राप्त होगा। ऐसी सभी तुलनपत्रेतर मदों, जिनका पैरा 16.4.5.2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, के लिए सीसीएफ उपर्युक्त पैरा 5.15.2 में बताए अनुसार होगा।

लेखांकन मानकों और कार्यप्रणाली की कड़ी निगरानी करेगी। 01 जनवरी 2015 से लीवरेज अनुपात का सार्वजनिक प्रकटीकरण आरंभ हो जाएगा और बासल समिति इन प्रकटीकरण अपेक्षाओं के प्रभाव कीसमीक्षा करेगी।

16.5.2 तदनुसार भारत में परिचालित बैंकों से अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 2015 से लीवरेज अनुपात और उसके घटकों का तिमाही आधार पर और पिलर 3 प्रकटीकरण के साथ ही पैरा 16.7 में दिए गए प्रकटीकरण टेम्प्लेट के अनुसार प्रकटीकरण करें।

बैंक अगली सूचना मिलने तक पूंजी की गणना और एक्सपोजर आकलन के बारे में ब्योरों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात रिपोर्ट करें।

16.6 **प्रकटीकरण अपेक्षाएं**

16.6.1 दिनांक 01 अप्रैल 2015 से बैंकों को अपना बासल III लीवरेज अनुपात सार्वजनिक रूप से प्रकट करना होगा।

16.6.2 बाजार सहभागियों को एक अवधि से दूसरी अवधि तक बैंक के प्रकाशित वित्तीय विवरणों के साथ लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण का समाधान करने के लिए तथा बैंक की पूंजी पर्याप्तता की तुलना करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों के साथ इन प्रकटीकरणों का मिलान करने के साथ ही लीवरेज अनुपात के प्रमुख घटकों के संगत और सामान्य प्रकटीकरण को चुनें।

16.6.3 लीवरेज अनुपात के घटकों से संबंधित में प्रकटीकरण को संगत और सुगम बनाने के लिए तथा परिष्कृत प्रकटीकरण के उद्देश्यों को कमजोर करने वाले असंगत फॉर्मेट के जोखिम को कम करने के लिए, बैंकों से अपेक्षित है कि वे टेम्प्लेट्स के सामान्य सेट के अनुसार लीवरेज अनुपात प्रकाशित करें।

16.6.4 सामान्य प्रकटीकरण अपेक्षाओ में यह शामिल हैं :

- बैंक की कुल लेखांकित आस्तियों की राशि तथा लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की तुलना दर्शानेवाली **तुलनात्मक सारांश** सारणी;
- प्रमुख लीवरेज अनुपात विनियामक तत्वों का ब्योरा दर्शानेवाला **सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट**;
- बैंक के वित्तीय विवरणों में कुल तुलन पत्र आस्तियों तथा सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट में तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर के बीच के तात्विक अंतर के स्रोत को दर्शाने वाली **मिलान अपेक्षाएं**;
- नीचे दिए गए अनुसार **अन्य प्रकटीकरण**

16.6.5 **प्रकटीकरण के कार्यान्वयन की तिथि, बारंबारता और स्थान**

16.6.5.1 भारत में कार्यरत बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद

प्रकाशित होने वाले उनके पहले वित्तीय विवरण/परिणाम की तारीख से लीवरेज अनुपात तथा उसके घटकों का प्रकटीकरण करें। तद्नुसार, इस प्रकार का पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किया जाना चाहिए।

16.6.5.2 नीचे पैरा 16.6.5.3 में दी गई अनिवार्य तिमाही बारंबारता के अपवाद को छोड़ कर बैंकों को कम से कम अर्धवार्षिक आधार पर (अर्थात् वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितंबर और 31 मार्च की स्थिति) बासल III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र के पैरा 14.9 के अनुसार अपेक्षित पिलर 3 के अन्य प्रकटीकरण के साथ ही पैरा 16.7 के अनुसार अपेक्षित विस्तृत प्रकटीकरण करना होगा, चाहे वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा की गई हो या या नहीं।

16.6.5.3 चूंकि जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के लिए लीवरेज अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपूरक उपाय है, अत: पिलर III प्रकटीकरण की वही अपेक्षाएं लीवरेज अनुपात पर भी लागू हैं। अत: बैंकों को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वित्तीय विवरण लेखा-परीक्षित है या नहीं, कम से कम निम्नलिखित 3 मदों का तिमाही आधार पर प्रकटीकरण करना चाहिए:

(i) टियर 1 पूंजी (पैरा 16.3 के अनुसार)

(ii) एक्सपोजर आकलन (पैरा 16.4 के अनुसार) तथा

(iii) लीवरेज अनुपात (पैरा 16.2 के अनुसार)

इन प्रकटीकरणों को कम से कम तिमाही के अंत (अर्थात् वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च की स्थिति) के आधार पर पूर्ववर्ती तीन तिमाहियों के अंत के आंकड़ों के साथ किया जाना चाहिए।

16.6.5.4 लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण का स्थान बासल III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र के पैरा 14.9.3 तथा 14.10 के अनुसार पिलर 3 के प्रकटीकरणों के लिए निर्धारित किए गए अनुसार होना चाहिए। तथापि पिलर 3 प्रकटीकरण के मामले में अपेक्षित कम से कम 3 साल के पुरालेख के स्थान पर विशेष रूप से लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण के मामले में बैंकों को सभी मिलान टेम्प्लेटों से संबंधित चालू पुरालेख, पिछली सूचना अवधि के संबंध में प्रकटीकरण टेम्प्लेट्स तथा व्याख्यात्मक सारणियाँ अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा।

16.7 **प्रकटीकरण टेम्प्लेट्स**

16.7.1 तुलनात्मक सारांश सारणी, सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट तथा व्याख्यात्मक सारणी, गुणात्मक मिलान और अन्य अपेक्षाएं निम्नलिखित पैरा मे वर्णित की गयी हैं। कुल मिलाकर इससे बासल III लीवरेज अनुपात की गणना करने के लिए प्रयुक्त मूल्यों तथा बैंकों के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त मूल्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।

16.7.2 पैरा 16.2.3 में वर्णित बासल III लीवरेज अनुपात के समेकन का दायरा प्रकाशित वित्तीय

विवरण के समेकन के दायरे से अलग होगा। साथ ही, आस्तियों के मापन की कसौटी की तुलना में प्रकाशित वित्तीय विवरणों के तुलनपत्र लेखांकन में संबंधित लीवरेज अनुपात के मापन की कसौटी में अंतर हो सकता है (उदाहरण के लिए पात्र बचाव निधि (हेजेस), निवल निर्धारण या क्रेडिट जोखिम कम करने के अभिज्ञान में अंतर के कारण)। इसके अलावा, सन्निहित लीवरेज का समुचित रूप में पता लगाने के लिए इस संरचना में तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्रेतर दोनों एक्सपोजरों को शामिल किया गया है।

16.7.3 नीचे वर्णित टेम्प्लेट लचीले बनाए गए है जिन्हें किसी भी लेखांकन मानक के अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है तथा वे आनुपातिक होने के साथ ही सुसंगत हैं, रेपोर्टिंग बैंक के तुलन पत्र की जटिलता के अनुसार परिवर्तनीय हैं।[40]

16.7.4 तुलनात्मक सारांश

16.7.4.1 सारणी 1 में दर्शाए गए अनुसार अवधि के अंत में (उदा. तिमाही के अंत में) मूल्यों का प्रयोग करते हुए, बैंकों को उनके लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन के साथ प्रकाशित वित्तीय विवरणों की तुलनपत्र आस्तियों का मिलन रिपोर्ट करना चाहिए। विशेष रूप से:

- पहली पंक्ति में प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक की कुल समेकित आस्तियां दर्शायी जाएं।
- दूसरी पंक्ति में बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यावसायिक संस्था में निवेश से संबंधित समायोजनों को दर्शाया जाए, जिन्हें लेखांकन हेतु समेकित किया गया है, लेकिन जो पैरा 16.2.4 तथा 16.4.2.2 के अनुसार विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं।
- तीसरी पंक्ति में बैंक के परिचालनगत लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र में पाई गई प्रत्ययी आस्तियों, लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है, के संबंध में फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजन दर्शाए जाएं।
- चौथी और पाँचवी पंक्ति में क्रमश: डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों और प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेन-देन (अर्थात रिपो और इस प्रकार के अन्य सुरक्षित उधार) के संबंध में समायोजन दर्शाए जाएं।
- छठी पंक्ति में पैरा 16.4.5.2 मे निर्धारित किए गए अनुसार ओबीएस मदों के समकक्ष क्रेडिट राशि दर्शायी जाए।
- सातवीं पंक्ति में अन्य समायोजन दर्शाए जाएं तथा

---

[40] विशेष रूप से, एक सामान्य टेम्प्लेट निर्धारित किया गया है। तथापि, मिलान के संबंध में, बैंकों को अपने रिपोर्ट किए गए वित्तीय विवरण की कुल तुलन पत्र आस्तियों तथा लीवरेज अनुपात में निर्धारित किए गए अनुसार तुलन पत्र में मौजूद एक्सपोजर के तात्विक अंतर का गुणात्मक मिलान करना होगा।

- आठवीं पंक्ति में लीवरेज़ अनुपात एक्सपोजर दर्शाया जाए जो पिछली मदों का जोड़ होना चाहिए। यह नीचे दी गयी सारणी 2 की 22वी पंक्ति से सुसंगत होना चाहिए।

सारणी **1-** **लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश**		
	मद	रुपए (मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है	
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है	
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रूपांतरण)	
7	अन्य समायोजन	
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	

16.7.5 सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट और व्याख्यात्मक सारणी, मिलान और अन्य अपेक्षाएं

16.7.5.1 बैंकों को नीचे दी गई सारणी 2 के अनुसार तथा मान्यताओं को लागू करते हुए अवधि के अंत में (उदाहरणार्थ तिमाही के अंत में) लीवरेज अनुपात संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित एक्सपोजरों का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट करना होगा: (i) तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर; (ii) डेरिवेटिव एक्सपोजर (iii) एसएफटी एक्सपोजर तथा (iv) ओबीएस मदें। बैंकों को अपनी टियर1 पूंजी, कुल एक्सपोजर तथा लीवरेज अनुपात भी रिपोर्ट करना होगा।

16.7.5.2 पैरा 16.2 के अनुसार तिमाही के लिए गणना किए और प्रतिशत के रूप में व्यक्त बासेल III लीवरेज अनुपात, को पंक्ति संख्या 22 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

16.7.5.3 *घोषित वित्तीय विवरणों से मिलान:* बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई तुलनपत्र की कुल आस्तियों (तुलन पत्र में मौजूद डेरिवेटिव और एसएफटी आस्तियों का कुल जोड) तथा तुलनपत्र में मौजूद एक्सपोजर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के स्रोत को सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की पंक्ति संख्या 1 में दर्शाना होगा।

16.7.5.4 *लीवरेज अनुपात में महत्वपूर्ण आवधिक परिवर्तन:* बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने बासेल III लीवरेज अनुपात में पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत से चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक देखे गए प्रमुख कारकों (चाहे ये परिवर्तन गणक में हुए परिवर्तन से और अथवा विभाजक में हुए परिवर्तन से उत्पन्न हुए हों) की व्याख्या करें।

सारणी 2 – लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट		
	मद	लीवरेज अनुपात संरचना
तुलनपत्र पर मौजूद एक्सपोजर		
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोडकर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	
3	**तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर** (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोडकर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुडी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड)	
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुडे पीएफई के लिए पूरक राशि	
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	
8	(ग्राहक - समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	

10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड)**	
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद	
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देयराशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं 12 से 15 का जोड)**	
	अन्य **तुलनपत्रेतर एक्सपोजर**	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण के लिए समायोजन)	
19	**तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति संख्या 17 और 18 का जोड)**	
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20	**टियर1 पूंजी**	
21	**कुल एक्सपोजर (पंक्ति संख्या** 3,11,16 **और**19 **का जोड)**	
	लीवरेज अनुपात	
22	**बासेल III लीवरेज अनुपात**	

16.7.5.5 इस दस्तावेज में दी गई बासेल III लीवरेज अनुपात संरचना के संबंधित पैरा का हवाला देते हुए निम्नलिखित सारणी में प्रकटीकरण टेम्प्लेट की प्रत्येक पंक्ति के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है -

सारणी 3 – सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट के लिए व्याख्यात्मक सारणी	
सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की प्रत्येक पंक्ति के लिए व्याख्या	
पंक्ति संख्या	व्याख्या
1	पैरा 16.4.2.1.के अनुसार तुलन पत्र की आस्तियां

2	पैरा 16.2.4 तथा 16.4.2.2 के अनुसार निर्धारित तथा लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं बासेल III टियर 1 पूंजी में से की गई कटौतियां, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है
3	पंक्ति संख्या 1 और 2 का जोड
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (आरसी) (जिनमें पैरा 16.4.3.11 में वर्णित लेनेदेनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक्सपोजर शामिल हैं), नकद रूपांतर मार्जिन के रूप में प्राप्त कुल राशि के साथ पैरा 16.4.3.2-16.4.3.4 तथा 16.4.3.9 के अनुसार जहां भी अपेक्षित हो, द्विपक्षीय नेटिंग
5	पैरा 16.4.3.2-16.4.3.4 के अनुसार समस्त डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए पूरक राशि
6	पैरा 16.4.3.7 के अनुसार उपलब्ध कराए गए संपार्श्विक के लिए सकल प्रावधानित राशि
7	पैरा 16.4.3.9 के अनुसार डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए उपलब्ध कराए गए नकद घट-बढ़ मार्जिन में से प्राप्य आस्तियों की कटौती, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है
8	पैराग्राफ 16.4.3.10 के अनुसार ग्राहक-समाशोधित लेनदेनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न डेरिवेटिव लेनदेनों के सीसीपी लेग से संबंधित छूट प्राप्त कारोबारी एक्सपोजर, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है
9	पैरा 16.4.3.13 के अनुसार लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि (अर्थात प्रभावी अनुमानित राशि जिसमें उचित मूल्य में हुआ ऋणात्मक परिवर्तन घटाया गया हो)
10	पैरा 16.4.3.13 के अनुसार लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित संमजन और पैरा 16.4.3.14 के अनुसार लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए घटाई गई पूरक राशि, जिसे ऋणात्मक राशि के रूप में रिपोर्ट किया गया हो
11	पंक्ति 4–10 का जोड
12	फुटनोट 30 में दिए गए अनुसार सकल एसएफटी आस्तियां जिनको क्यूसीसीपी के साथ नवीयन के अलावा किसी अन्य निवलीकरण के लिए मान्यता नहीं दी गई है, पैरा 16.4.4.2 (क) के अनुसार निर्धारित कुछ प्राप्त प्रतिभूतियों को हटाकर तथा पैरा 16.4.4.3 के अनुसार निर्धारित किसी विक्रय लेखांकन लेनदेनों के प्रति समायोजन करते हुए
13	पैरा 16.4.4.2 (क) के अनुसार एसएफटी आस्तियों के लिए ऐसी निवलीकृत नकद देयराशियां तथा नकद प्राप्य राशियां, जिनकी राशि ऋणात्मक रिपोर्ट की गई है
14	पैरा 16.4.4.2 (ख) के अनुसार निर्धारित एसएफटी के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम

	का आकलन
15	पैराग्राफ 16.4.4.4-16.4.4.6 के अनुसार निर्धारित एजेंट लेनदेन एक्सपोजर की राशि
16	पंक्ति 12 -15 का जोड
17	पैरा 16.4.5.2 के अनुसार ऋण संपरिवर्तन कारकों के लिए समायोजन से पूर्व सकल अनुमानित आधार पर कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि
18	पैरा 16.4.5.2 के अनुसार ऋण संपरिवर्तन कारकों को लागू किए जाने के कारण तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की सकल राशि में कमी
19	पंक्ति संख्या 17 और18 का जोड
20	पैरा 16.3. के अनुसार निर्धारित टियर 1 पूंजी
21	पंक्ति संख्या 3, 11,16 तथा 19 का जोड
22	पैरा 16.7.5.2. के अनुसार बासेल-III लीवरेज अनुपात

16.7.5.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि, तुलनात्मक सारांश सारणी, सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट और व्याख्यात्मक सारणी सभी क्षेत्राधिकारों में तुलना करने योग्य बनी रहे, बैंकों द्वारा अपना लीवेरेज अनुपात प्रकट करते समय किसी भी प्रकार के समायोजन नहीं किए जाने चाहिए। बैंकों को उनके क्षेत्राधिकारों के लिए लागू तुलनात्मक सारांश सारणी, सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट की किसी भी पंक्ति की परिभाषा को बढाने, घटाने अथवा परिवर्तित किए जाने की अनुमति नहीं है। इससे सारणी और टेम्प्लेट में विचलन को रोका जा सकेगा जिससे संगतता और तुलनात्मकता के उद्देश्य कमजोर हो सकते हैं।